प्रेस विज्ञप्ति

16.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आँचलिक कार्यालय ने "पर्लवाइन इंटरनेशनल" के बैनर तले चल रही www.pearlvine.com नाम की एक धोखाधड़ी निवेश वेबसाइट के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 29.25 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। 29.25 करोड़ रुपये की कुर्क की गई संपत्ति 14 भू-संपत्तियों के रूप में है।

ईडी ने आरबीआई, शिलांग की शिकायत और आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र के आधार पर सीआईडी, मेघालय पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो वेबसाइट www.pearlvine.com के माध्यम से पर्लवाइन इंटरनेशनल द्वारा किए गए घोटाले में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ है। पर्लवाइन इंटरनेशनल एक गैर-मान्यता प्राप्त इकाई थी, जो खुद को अमेरिका स्थित होने का दावा करती थी और कई आकर्षक निवेश विकल्प प्रदान करती थी। इसने सदस्यता शुल्क के रूप में न्यूनतम 2250 रुपये एकत्र किए और 2018 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान भारत में एक पोंजी स्कीम चलाई। इस अवधि के दौरान, इसने सदस्यता प्राप्त करने और इसके लाभों को लोकप्रिय बनाने के लिए पूरे देश में सेमिनार आयोजित किए। 2022 में एक समय पर, पर्लवाइन इंटरनेशनल ने भारत और विदेशों में 80 लाख सदस्यों की सदस्यता का दावा किया।

ईडी की जांच में पता चला कि पूरे घोटाले के पीछे नीरज कुमार गुप्ता का हाथ था और उसने नवंबर 2015 में ही www.pearlvine.com डोमेन खरीदा था। उन्होंने भारत के साथ-साथ थाईलैंड में भी पर्लवाइन इंटरनेशनल के कई सेमिनार आयोजित किए। जांच में यह भी पता चला कि www.pearlvine.com की वेबसाइट डिजाइनिंग और होस्टिंग का काम परवेश सरोहा नाम के व्यक्ति ने किया था। अपराध की आय (पीओसी) मुख्य रूप से भू-संपत्तियों में निवेश की गई थी।

इस मामले में अब तक ईडी द्वारा की गई कुल कुर्की 37.07 करोड़ रुपये है, जिसमें से ईडी ने परवेश सरोहा की संपत्तियों के संबंध में पहले ही 7.82 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली थी।

आगे की जांच हो रही है।